


यह मानचित्र इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 577  
दिनांक 26/3/2014 का सहपत्र है।


LAY-OUT PLAN  
1:1000

*(Signature)*  
उप संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
जिला भोपाल/सीहोर

*(Signature)*  
सहसंचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
जिला भोपाल-सीहोर



AKS PLAN  
1:4000



LAY-OUT PLAN  
1:4000

S.NO	KHASRA NO	AREA IN HECT	OWNER
1	71 / KA / 2	0.607 HECT	COUNCIL FOR HEALTH CARE AND DIAGNOSTIC SCIENCES BHOPAL. SECRETARY :- MRS. MEENAKSHI SOTIE W/O MR. SANJEEV SOTIE
	TOTAL	0.607 HECT	

LAY-OUT PLAN FOR THE CONSTRUCTION OF EDUCATIONAL INSTITUTE ON KHASRA NO:- 71 / KA / 2, P.H.NO:- 44, AT VILLAGE SAMASPURA, TENSIH HUZUR, DIST. BHOPAL.

BELONGING TO :  
COUNCIL FOR HEALTH CARE AND DIAGNOSTIC SCIENCES BHOPAL.  
SECRETARY :-  
MRS. MEENAKSHI SOTIE  
W/O MR. SANJEEV SOTIE

STATEMENT OF AREA

1) TOTAL LAND AREA AS PER RECORD (0.607 HECT)	= 6070.00 SQM
2) NET PLANNING AREA	= 6070.00 SQM
3) MAXIMUM PERMISSIBLE GROUND COVERAGE	= 25%
4) MAXIMUM PERMISSIBLE F.F.A.R	= 1
5) MAXIMUM PERMISSIBLE HEIGHT	= 12.00
6) M.O.S	FRONT 12.00M ALL SIDE 8.00M
7) OPEN AREA	= 1440.00 SQM

SCHEDULE OF PARKING

PARKING	(11)
AREA F.A.R. 5070.00 X 1 = 6070.00 SQM	(12)
@ 1 ECS. 125 SQM BUA = 6070.00 / 125 = 48.56 = 49 ECS.	(13)
AREA OF PARKING = @ 25 SQM / CAR IN OPEN AREA = 1225 / 25 = 49 NOS	(14)

OWNER



ARCHITECT  
Solutions For Shelter

DRAWN BY MR. FAIZAN

MOHD YUSUF  
TOWN PLANNER M.-094263020  
Bpl. Min. Co-Reg. No. : TP (A) 02  
T & C.P. Bhopal - Reg. No. - TP/55  
(Deptt. of Town and Country Planning, Bhopal)  
S2, II Floor, Press Complex, opp. Dairik  
Bhaskar Zone 1, M.P. Nagar, Bhopal  
e-mail - rchitect@rediffmail.com

DRAWING RE/S261213

SCALE 1:1000

PLANNER

- उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में ग्राम समसपुरा तहसील हजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक-71/क/2, पर कुल रकबा 0.607 हेक्टेयर (6070.00 वर्गमीटर) पर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु भूमि पर शैक्षणिक योजना के निर्माण संबंधी विकास कार्यों को कार्यान्वित किये जाने हेतु अभिमत चाहा गया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा-172(1) के तहत व्यपवर्तन हेतु अभिमत निम्न शर्तों पर शैक्षणिक विकास हेतु अभिमत दिया जाता है :-
- (1) निम्न लिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :-
    1. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959
    2. मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल।
    3. भू अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला भोपाल
    4. राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग प्राधिकारी, (राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग से लगी भूमि के विकास की स्थिति में)।
    5. जल संसाधन विभाग (बांध, नहर व नदियों से लगी भूमि के विकास की स्थिति में)।
    6. मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
    7. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।
  - (2) इस विकास अनुज्ञा हेतु अभिमत के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का उप विभाजन मान्य नहीं होगा।
  - (3) भवन का अधिकतम भू-तल निर्मित क्षेत्र 25 प्रतिशत अधिकतम मान्य होगा।
  - (4) भवन में संलग्न मानचित्र में दर्शाए अनुसार एम.ओ.एस. रखे जायें। सामने से -12.0 मीटर (न्यूनतम), पीछे से -6.0 मीटर (न्यूनतम), बांये से 6.0 मीटर (न्यूनतम), बाएं से 6.0 मीटर (न्यूनतम), एफ.ए.आर. 1:1.0 (एक अनुपात एक दशमलव शुल्क) अधिकतम तथा भवन की अधिकतम ऊंचाई मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्राधानानुसार 12.0 मीटर अधिकतम।
  - (5) पाकिंग हेतु व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 84 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप करना होगा एक कार स्पेस प्रति 125 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र, न्यूनतम 53 कार पाकिंग हेतु 1325 वर्गमीटर क्षेत्र सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
  - (6) रेनवाटर हार्वैस्टिंग/रूफ वाटर हार्वैस्टिंग नियम की प्रक्रिया अपनायी होगी। उसके पश्चात ही भूखण्ड पर विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्थाओं के द्वारा दिया जा सकेगा।
  - (7) आपके द्वारा प्रस्तुत अक्स/मटान में किसी भी प्रकार की विरंगमति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी ही होगी प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जाये एवं भूखण्डों का समायोजन किया जाये।
  - (8) नियमानुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये। यह सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही भवन अनुज्ञा संबंधित नगर निगम/ग्राम पंचायत एवं स्थानीय संस्था द्वारा दी जाये।
  - (9) स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखा होगा। प्रश्नाधीन भूमि से लगकर पूर्व से निर्मित परिसर को पहुँच मानचित्र में आपके द्वारा प्रस्तावित किये अनुसार सुनिश्चित करें।
  - (10) किसी भी प्रकार की भूमि विवाद होने पर यह अभिमत स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
  - (11) जल-मल निकासी की व्यवस्था निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जाये।
  - (12) इस कार्यालय एवं राजस्व विभाग द्वारा किये गये स्थल पर सीमांकन (बाहरी सीमाओं) दिनांक-3.1.2014 में दर्शित माप एवं स्थिति के आधार पर ही मान्य होगा।
  - (13) इस अभिमत को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जाये।
  - (14) अनुमोदित मानचित्र की सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा यह अभिमत अहस्तांतरणीय होगी तथा अनुज्ञापत्र उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे
  - (15) संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरूद्ध न किया जाये इसे मान्य नहीं किया जावेगा।
  - (16) स्थल पर अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 1.50 X 1.25 मीटर साईज के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा।
  - (17) किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट परिसर के आसपास भूमि पर फेंकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा तथा इसके निराकरण की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करनी होगी। अतः किसी भी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण होने पर यह अभिमत स्वयं निरस्त मान्य होगी।
  - (18) सीवेज/ठोस अपशिष्ट को ड्रीटमेंट हेतु निर्धारित क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा। तत्पश्चात उसको उपचारात्मक तरीके से कालोनी के बगीचे इत्यादि में उपयोग किया जाये। बगीचे शोधित किये सीवेज का निकास पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
  - (19) प्रश्नाधीन भूमि पर संबंधित ग्राम पंचायत एवं स्थानीय संस्था से प्राप्त की जाने वाली भवन अनुज्ञा की प्रति 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।
  - (20) परिसर से जनि्त होने वाले पाकिंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही की जाना एवं करना अनिवार्य होगा।
  - (21) निर्माणकर्ता को यह बाध्यता होगी कि वह समुचित पेयजल व्यवस्था, जल मल निकासी, पाकिंग स्थलों का विकास, हरित क्षेत्रों का विकास एवं वृक्षारोपण इत्यादि विकास कार्यों को सम्पूर्ण करने के पश्चात ही भवन का उपयोग प्रारंभ करें।
  - (22) मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अभिमत जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी।
  - (23) आवेदित स्थल पर स्थित एक्स्ट्रा हार्डटेशन/इलेक्ट्रिक लाईन/(टॉवर लाईन) से मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियमानुसार निर्धारित दूरी तक खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा। उसके नीचे किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।
  - (24) संबंधित संस्था/संबंधित स्थानीय संस्था ग्राम पंचायत को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 तथा अन्य समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
  - (25) नाले/नहर के किनारे से 9.0 मीटर का हरित क्षेत्र खुला रखना अनिवार्य होगा।
  - (26) मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग द्वारा उनके परिपत्र क्रमांक एफ-12/39/09/बी-1/डो भोपाल, दिनांक 30.11.2009 द्वारा जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में इन्स्टीट्यूट भवनों आदि के लिये अग्नि सुरक्षा निर्देश (फायर आर्डर) में उल्लेखित समस्त निर्देशों एवं निश्चित/आवश्यक उपयोग का कड़ाई से पालन करना आवश्यक होगा एवं फायर एक्स्टिंग्यूशन परिपत्र में उल्लेखित मानक अनुसार यथा स्थानों पर स्थापित करवाए जायें तथा अग्नि/दुर्घटना स्थल से बच निकलने की क्षमता 3 माह में एक बार करवाई जानी चाहिये।
  - (27) विभिन्न नागरिक सुविधाओं (सर्विसेस) हेतु इस अभिन्यास में जो जगह प्रस्तावित की गई है उनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ओवर हेड टैंक, गारबेज डिस्पोजल एवं कालोनी का कचरा इकट्ठा कर उसका निष्पादन किया जाये।
  - (28) उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 25 के तहत रिवोक की जा सकेगी।
  - (29)
  - (30)
  - (31)

## कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन, मध्य प्रदेश

'कचनारट' ई-5 पर्यावरण परिसर अरेटा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail : [bhopal@mptownplan.gov.in](mailto:bhopal@mptownplan.gov.in)

क्रमांक  
प्रति,

/एल.पी.03/ डायवर्शन/ नग्रानि/ जिका/ 2014

भोपाल, दिनांक /3/2014

अनुविभागीय अधिकारी,  
राजस्व,  
तहसील हूजूर,  
जिला भोपाल, मध्य प्रदेश.

विषय :- ग्राम समसपुरा तहसील हूजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक-71/क/2, पर कुल रकबा 0.607 हेक्टेयर (6070.00 वर्गमीटर) पर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु विकास अनुज्ञा बाबत ।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक-233/रीडर/ 13 दिनांक 27.12.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में ग्राम समसपुरा तहसील हूजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक-71/क/2, पर कुल रकबा 0.607 हेक्टेयर (6070.00 वर्गमीटर) पर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु भूमि पर शैक्षणिक योजना के निर्माण संबंधी विकास कार्यो को कार्यान्वित किये जाने हेतु अभिमत चाहा गया है । मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा-172(1) के तहत व्यपवर्तन हेतु अभिमत निम्न शर्तों पर शैक्षणिक विकास हेतु अभिमत दिया जाता है :-

- (1) निम्न लिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :-
  1. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959
  2. मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल ।
  3. भू अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला भोपाल
  4. राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग प्राधिकारी, ( राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग से लगी भूमि के विकास की स्थिति में),
  5. जल संसाधन विभाग ( बांध, नहर व नदियों से लगी भूमि के विकास की स्थिति में),
  6. मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
  7. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह अनिवार्य रूप से प्राप्त करें ।
- (2) इस विकास अनुज्ञा हेतु अभिमत के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का उप विभाजन मान्य नहीं होंगा ।
- (3) भवन का अधिकतम भू-तल निर्मित क्षेत्र 25 प्रतिशत अधिकतम मान्य होगा ।
- (4) भवन में संलग्न मानचित्र में दर्शाए अनुसार एम. ओ. एस. रखे जावें ।  
सामने से -12.0 मीटर(न्यूनतम), पीछे से -6.0 मीटर(न्यूनतम), दांये से 6.0 मीटर(न्यूनतम), बांये से 6.0 मीटर(न्यूनतम).
- (5) एफ. ए. आर. 1:1.0 (एक अनुपात एक दशमलव शून्य) अधिकतम तथा भवन की अधिकतम उंचाई मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार 12.0 मीटर अधिकतम ।
- (6) पार्किंग हेतु व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 84 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप करना होगा । एक कार स्पेस प्रति 125 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र, न्यूनतम 53 कार पार्किंग हेतु 1325 वर्गमीटर क्षेत्र सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।
- (7) रेनवाटर हार्वेस्टिंग/रूफ वाटर हार्वेस्टिंग नियम की प्रक्रिया अपनानी होगी । उसके पश्चात ही भूखण्ड पर विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्थाओं के द्वारा दिया जा सकेगा ।

- (8) आपके द्वारा प्रस्तुत अक्स/बटान में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी की होगी ।
- (9) प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जाये एवं भूखण्डों का समायोजन किया जावे ।
- (10) नियमानुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जावे । यह सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही भवन अनुज्ञा संबंधित नगर निगम/ग्राम पंचायत एवं स्थानीय संस्था द्वारा दी जावे ।
- (11) स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखना होगा । प्रश्नाधीन भूमि से लगकर पूर्व से निर्मित परिसर को पहुँच मानचित्र में आपके द्वारा प्रस्तावित किये अनुसार सुनिश्चित करें ।
- (12) किसी भी प्रकार की भूमि विवाद होने पर यह अभिमत स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।
- (13) जल-मल निकासी की व्यवस्था निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जावे ।
- (14) इस कार्यालय एवं राजस्व विभाग द्वारा किये गये स्थल पर सीमांकन (बाहरी सीमाओं) दिनांक-3.1.2014 में दर्शित माप एवं स्थिति के आधार पर ही मान्य होगा ।
- (15) इस अभिमत को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे ।
- (16) अनुमोदित मानचित्र की सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा
- (17) यह अभिमत अहस्तांतरणीय होगी तथा अनुज्ञप्त उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे
- (18) संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा । अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरुद्ध न किया जावे इसे मान्य नहीं किया जावेगा ।
- (19) स्थल पर अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 1.50 X 1.25 मीटर साईज के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा ।
- (20) किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट परिसर के आसपास भूमि पर फेंकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा तथा इसके निराकरण की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करनी होगी । अतः किसी भी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण होने पर यह अभिमत स्वमेव निरस्त मान्य होगी ।
- (21) सीवेज/ठोस अपशिष्ट को ट्रीटमेंट हेतु निर्धारित क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा । तत्पश्चात उसको उपचारात्मक तरीके से कालोनी के बगीचे इत्यादि में उपयोग किया जावे । बगैर शोधित किये सीवेज का निकास पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।
- (22) प्रश्नाधीन भूमि पर संबंधित ग्राम पंचायत एवं स्थानीय संस्था से प्राप्त की जाने वाली भवन अनुज्ञा की प्रति 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित करें ।
- (23) परिसर से जनित होने वाले पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही की जाना एवं करना अनिवार्य होगा ।
- (24) निर्माणकर्ता को यह बाध्यता होगी कि वह समुचित पेयजल व्यवस्था, जल मल निकासी, पार्किंग स्थलों का विकास, हरित क्षेत्रों का विकास एवं वृक्षारोपण इत्यादि विकास कार्यों को सम्पूर्ण करने के पश्चात ही भवन का उपयोग प्रारंभ करें ।
- (25) मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अभिमत जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी ।
- (26) आवेदित स्थल पर स्थित एक्स्ट्रा हाईटेंशन/इलेक्ट्रिक लाईन/(टॉवर लाईन) से मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियमानुसार निर्धारित दूरी तक खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा । उसके नीचे किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा ।
- (27) संबंधित संस्था/संबंधित स्थानीय संस्था ग्राम पंचायत को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 तथा अन्य समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।
- (28) नाले/नहर के किनारे से 9.0 मीटर का हरित क्षेत्र खुला रखना अनिवार्य होगा ।
- (29) मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग द्वारा उनके परिपत्र क्रमांक एफ-12/39/09/बी-1/दो भोपाल, दिनांक 30.11.2009 द्वारा जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में इन्स्टीट्यूट भवनों आदि के लिये अग्नि सुरक्षा निर्देश (फायर आर्डर) में उल्लेखित समस्त निर्देशों एवं निश्चित/आवश्यक उपयोग का कड़ाई से पालन करना आवश्यक होगा एवं फायर एक्सटींग्यूशन परिपत्र में उल्लेखित मानक अनुसार यथा स्थानों पर स्थापित करवाए जावें तथा अग्नि/दुर्घटना स्थल से बच निकलने की ड्रिल 3 माह में एक बार करवाई जानी चाहिये ।

- (30) विभिन्न नागरिक सुविधाओं (सर्विसेस) हेतु इस अभिन्यास में जो जगह प्रस्तावित की गई है उनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ओवर हेड टैंक, गारबेज डिस्पोजल एवं कालोनी का कचरा इकट्ठा कर उसका निष्पादन किया जावे ।
- (31) उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 25 के तहत रिवोक की जा सकेगी ।

संयुक्त संचालक

पृ. क्रमांक 577  
प्रतिलिपि :-

/एल.पी.03/ डायवर्शन/नग्रानि/जिका/2014

नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन, मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक 26/3/2014

1. अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार, तहसील हूजूर (संबंधित वृत्त), जिला भोपाल की ओर इस लेख के साथ प्रेषित है कि इस अनुज्ञा को संबंधित राजस्व निरीक्षक/पटवारी के खसरा रिकार्ड के कॉलम 12 में "नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस खसरे का ले-आउट स्वीकृत हो गया है" की टीप अंकित किये जाने बाबत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
2. सरपंच, संबंधित ग्राम पंचायत, आवंला, तहसील हूजूर, जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करने हेतु ।
4. उपमहाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित ।
6. सर्वेक्षक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल को प्रेषित ।
7. काउंसिल फॉर हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक साईंसेंस, 302 सागर केम्पस, वाल्मी रोड़, चूना भट्टी, कोलार रोड़, भोपाल को सूचनार्थ एवं अनुज्ञा शर्तों का पालन किये जाने हेतु प्रेषित ।

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन, मध्य प्रदेश